न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 05/ 19 **वर्ष 2019**

जीसीएमएस संख्याः– (2019/00009)

बउनवानीः– 1. राजाराम पुत्र गलखा जाति गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली
2. बदरी पुत्र हरदेवा जाति गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली
3. मोजीराम पुत्र मोडया जाति गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली
4. अर्जुन पुत्र मोडया जाति गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली
5. सूरजमल पुत्र मोडया जाति गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली
6. रामलाल पुत्र मोडया जाति गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली
7. रामकेश पुत्र स्व0 गोपी जाति गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली

बनाम

1. रामधन पुत्र औंकार गुर्जर निवासी रघुवंटी तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2020 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील प्रार्थीगण
2. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह — वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक 16.11.2021**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 18.6.2002 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अप्रार्थी को ग्राम रघुवंटी तहसील बौंली मे दिनांक 18.6.2002 को किया गया आवंटन विधि विरूद्व तथा पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। क्योकि उक्त आवंटन आदेश पर उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार के हस्ताक्षर नही है अर्थात आवंटन कमेटी के सम्पूर्ण कौरम के हस्ताक्षर आवंटन आदेश पर नही है इस कारण आवंटन आदेश अवैधानिक है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के समय विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र में भी ख0न0 36 मे रकबा 14 बिस्वा भूमि के लिए ही विपक्षी ने आवेदन किया है तथा उक्त आवंटन से पूर्व तस्दीक पटवारी हल्का द्वारा भी अप्रार्थी का आवंटन के समय मौके पर कब्जा नही होना अंकित किया है तथा विपक्षी के पक्ष में ख0न0 नम्बर 36 रकबा एक बीघा भूमि का आवंटन होना बताया गया है जिसके हाल बंदोबस्त मे ख0न0 346/[illegible] है जबकि विवादित भूमि पर आवंटन के पूर्वसे ही प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा च[illegible] है। उक्त तथ्य पत्रावली पर बखूबी सिद्व होते हुए भी बिना आव[illegible] आवंटन बताकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विप[illegible] स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवायी है जो विधि विरूद्व है। यह तर्क भी [illegible] कि आवंटन से पू[illegible]कगण का उक्त भूमि ख0न0 36 पर सम्वत् 2043 से अब [illegible] निरन्तर कब्जा काश्त [illegible] आ रहा है जिसपर प्रार्थीगण के विरूद्व ख0न0 36 पर अतिचार कब्जे के संबंध में धारा 91एलआरएक्ट की कार्यवाही की गयी थी इससे भी यह तथ्य भली प्रकार सिद्व है कि विपक्षी का उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(निगरानी संख्या 05/19 राजाराम वगै. बनाम रामधन)

भूमि पर आवंटन से पूर्व तथा आवंटन के उपरान्त से लेकर आज तक कभी कब्जा नही रहा है। उक्त आवंटन आदेश फर्जी है तथा अपूर्ण है तथा आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है प्रार्थी को उक्त आवंटन आदेश की अब तक कोई जानकारी नही थी सर्वप्रथम जानकारी होने पर दिनांक 18.2.2019 को आवंटन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 20.2.2019 को नकल नवीश द्वारा रिपोर्ट की गयी कि आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने के कारण आवंटन आदेश के अतिरिक्त अन्य आवंटन प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधिवत है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नही है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 18.6.2020 को आवंटन सलाहकार समिति ने मुझ अप्रार्थी को ग्राम रघुवंटी के साबिक खन0 36 मे से 1 बीघा भूमि का आवंटन किया जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया है जिसपर आवंटन से लेकर अब तक अप्राथी का कब्जा काश्त रहा है। यह तर्क भी दिया कि मूल आवंटन मिसल के अनुसार आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने मात्र से ही प्रार्थी के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। चूंकि आवंटित भूमि पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए अब आवंटन खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि साबिक ख0न0 36 रकबा एक बीघा का आवंटन विधि विरूद्व होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात पेश नही किया जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सकें। मूल आवंटन मिसल के अनुसार आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है तथा इसी आवंटन कमेटी की सिफारिश पर अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित की गयी है। आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा केवल मात्र आवंटन आदेश पर आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने मात्र से आवंटन खारिज किया जाना विधिसम्मत नही है क्योकि इसमे आवंटी का कोई दोष नही है। चूंकि उक्त आवंटन मिथ्या कथन, छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया आवंटन की श्रेणी मे नही होने से आवंटन खारिज किया जाना न्याय संगत नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार [illegible] निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:50 IST
Reason: SelfAttested